आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(12)उद्योग/1/2022 जयपुर, दिनांकः 02 DEC 2022

## अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्द्वारा जारी की जाती हैः–

1. **परियोजना विकसित करने वाले का नामः–** जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (JPMIA RDA), जयपुर

2. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्यः–** राज्य में केन्द्र प्रवर्तित दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत् विकसित किये जा रहे जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी की स्थापना किया जाना।

3. **भूमि का विवरणः–**

| क्र. सं. | जिला | तहसील | ग्राम | अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल | स्वामित्व |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पाली | रोहट | दूदली, रोहट, सिणगारी, डूंगरपुर, निम्बली ब्राहम्णान | 1086.4483 हैक्टेयर | संलग्न सूची अनुसार |

4. **सामाजिक समाघात अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यः–**

   i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

   ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण प्रचार–प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार–विमर्श को लेखबद्ध करना।

   iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।

   iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

   v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

   vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों को ज्ञात करना।

   vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सडक मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाडी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।

viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू–स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? – नहीं

xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 90 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।

xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायतों, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी करानी होगी। संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों एवं एजेन्सियों की वेबसाईट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी प्रभु फाउण्डेशन का विवरण–

| | नाम | | सम्पर्क सूत्र |
|---|---|---|---|
| i. | श्री रामयश चौबे | – | 9414046348 |
| ii. | श्री हाकिम मांझी | – | 6202194479 |
| iii. | श्री पंकज भटनागर | – | 9414049680 |
| iv. | सुश्री संगीता रावत | – | 9413312230 |
| v. | श्री अशोक कुमार दुबे | – | 6376761613 |
| vi. | श्री देवेन्द्र तिवाडी | – | 9413101110 |
| vii. | श्री रोशन कुमावत | – | 9414876990 |
| viii. | सुश्री रंज़ना सिंह | – | 7014564009 |
| ix. | श्री ज्ञान रंजन मिश्रा | – | 7544085300 |
| x. | श्री विक्रम यादव | – | 8946979176 |
| xi. | श्री अशोक कुमार चौबे | – | 9956588831 |
| xii. | श्री दिनेश कुमार | – | 8209779002 |
| xiii. | श्री ओमप्रकाश | – | 7023034699 |
| xiv. | श्री सुनिल कुमार रेगा | – | 7891399915 |
| xv. | श्री सुरेन्द्र रेगा | – | 8619784563 |
| xvi. | श्री हिम्मत सिंह | – | 8619125312 |

**अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरणः–**

श्री दलवीर सिंह ढढ्डा, – 9799847001
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक
क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

संलग्नः– सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. जिला कलक्टर, पाली, राजस्थान।
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि० एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को वास्ते असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी, डीएमआईसी विभाग, जयपुर, राजस्थान को पालनार्थ।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को प्रेषित कर लेख है कि –
   i. अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के प्रावधानों की पालना करवाते हुए अधिसूचना का प्रभावित क्षेत्रों में प्रचलित दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) कराया जावे।
   ii. संबंधित पंचायत,, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में स्थानीय भाषा में अधिसूचना उपलब्ध करवायी जावे।
   iii. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी की जाये तथा जिला कलक्टर की सरकारी वेबसाइट तथा संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
   iv. प्रकाशित समाचार पत्रों एवं स्थानीय चस्पानगी की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जावे।
6. उपखण्ड अधिकारी, रोहट, पाली, राजस्थान।
7. तहसीलदार, रोहट, पाली, राजस्थान।
8. श्री दलवीर सिंह ढढ्डा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधुपर–पाली–मारवाड औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
9. ग्राम पंचायत रोहट/सिणगारी/खाण्डी, तहसील रोहट, जिला पाली, राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. प्रभु फाउण्डेशन जरिये श्री रामयश चौबे, 212, पेतुनिया, मंगलम आनन्दा, सांगानेर रेल्वे स्टेशन के पास, सांगानेर, जयपुर–302029
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव